



अपराध अनुसंधान विभाग

जनवरी-मार्च 2019

अंक-01

चिन्हित जघन्य/सनसनीखेज अपराध

अपराध अनुसंधान विभाग का प्रथम न्यूजलेटर प्रकाशित करते हुये मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। पुलिस विभाग द्वारा किये गये अच्छे अनुसंधान एवं प्रभावपूर्ण अभियोजन कार्यवाही के चलते चिन्हित अपराधों में सजायाबी का प्रतिशत बढ़ा है, जो हर्ष का विषय है।

अन्वेषण एवं अभियोजन की कार्यवाही अपराध न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। अधिक से अधिक जघन्य अपराधों को चिन्हित कर उनका शीघ्रता से अन्वेषण किया जाकर अभियोजन की कार्यवाही करते हुये अपराधियों को त्वरित सजा दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सभी पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा है कि वे न्यूज लेटर की बेहतरी हेतु भविष्य में अपना बहुमूल्य सुझाव रखेंगे।

◀ राजीव टण्डन, अमनि, अअवि, पु.मु., भोपाल

म.प्र. शासन द्वारा गंभीर जघन्य/सनसनीखेज प्रकृति के अपराधों को चिन्हित करने की विशेष योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है, जो निरंतर जारी है। इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं:-

- विवेचना ठोस तथा प्रमाणिक साक्ष्यों पर आधारित
- निर्धारित समयावधि में पूर्ण
- न्यायालयों से अपराधों का त्वरित निराकरण
- अपराधी कठोरतम दण्डों से दण्डित हों (Conviction)
- अपराधिक न्याय प्रणाली सुदृढ़ बने
- पुलिस-प्रशासन, अभियोजन तथा न्यायपालिका में बेहतर समन्वय
- जनता में शासन-प्रशासन व पुलिस के प्रति विश्वास स्थापित हो
- पीड़ित पक्ष को यथाशीघ्र न्याय मिल सके।
- सामूहिक हत्याकाण्ड
- हत्या के साथ डकैती, बैंक, सर्राफा एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पर दिन-दहाड़े खुलेआम डकैती
- अपहरण के साथ हत्या
- 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार एवं नाबालिग बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की हुई सभी आपराधिक घटनाएं।
- तेजाब से हमलों के प्रकरण (Acid attacks)
- आतंकवादी कृत्य
- पुरातत्व महत्व की धार्मिक मूर्तियों की चोरी जिनसे जनसामान्य की धार्मिक भावनायें जुड़ी हों
- अन्य ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनसे जनता में भय अथवा असुरक्षा की भावना पैदा होती हो।

चिन्हित अपराधों के शीर्ष

- हत्या के वीभत्स प्रकरण-जिंदा जला देना, दिन-दहाड़े सार्वजनिक स्थान पर गोली/चाकू/तलवार या अन्य हथियार से निहत्थे व्यक्ति को मार देना

माह जनवरी एवं फरवरी 2019 में चिन्हित अपराधों में पुलिस की उपलब्धियाँ-

माह जनवरी एवं फरवरी 2019 में कुल 85 चिन्हित श्रेणी के जघन्य/सनसनीखेज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरुद्ध दोषसिद्धि आदेश पारित किये गये हैं। इनमें से 01 प्रकरण में आरोपी को मृत्युदण्ड, 54 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 19 प्रकरणों में 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास एवं 11 प्रकरणों में 10 वर्ष से कम अवधि के दण्ड से आरोपियों को दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध हुये चिन्हित प्रकरणों में जिला छतरपुर में बलात्कार सहित हत्या के 01 प्रकरण में आरोपी को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। जिला राजगढ़, नीमच, धार, बड़वानी, कटनी, सतना, जबलपुर, सागर, उमरिया, मण्डला, दमोह, छतरपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, खरगोन, बालाघाट, होशंगाबाद, रायसेन, अनूपपुर, ग्वालियर, मंदसौर, गुना, भोपाल, रीवा, सीहोर, रतलाम, डिण्डौरी एवं शहडोल में हत्या के 38 चिन्हित प्रकरणों में, जिला रतलाम, इंदौर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, सागर, बालाघाट, होशंगाबाद एवं भिण्ड में नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार के 12 चिन्हित प्रकरणों, जिला होशंगाबाद में बलात्कार के चिन्हित प्रकरण, जिला अलीराजपुर एवं भिण्ड में डकैती के 02 चिन्हित प्रकरणों तथा जिला टीकमगढ़ में अपहरण के चिन्हित प्रकरण में आरोपियों को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

आजीवन कारावास से दण्डित चिन्हित प्रकरण

जोनवार (जनवरी-फरवरी 2019)

भोपाल जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप.क्र.	धारा
1	राजगढ़	भोजपुर	70/18	302, 307 भादवि
2	राजगढ़	जीरापुर	317/18	302 भादवि
3	भोपाल	मिसरोद	476/16	302, 307 भादवि
4	भोपाल	कमलानगर	695/16	302 भादवि
5	सीहोर	बिलकिसगंज	124/18	294, 302 भादवि
6	सीहोर	आष्टा	400/18	307, 341, 294, 323, 506, 34 इजाफा 302 भादवि
जबलपुर जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप. क्र.	धारा
1	कटनी	एन.के.जे.	304/16	302 भादवि, 3(2) (5) एस.सी.एस.टी. एक्ट
2	जबलपुर	मदनमहल	129/16	302 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट
3	नरसिंहपुर	चीचली	89/16	147, 148, 294, 323, 452, 307, 302 भादवि
4	नरसिंहपुर	गोटेगांव	221/17	302, 201 भादवि
5	छिंदवाड़ा	मोहगांव	47/16	302 भादवि 3(2) व्ही एस.सी.एस.टी. एक्ट
6	नरसिंहपुर	ठेमी	134/18	376 (2) आई.जे.एन. भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट
चम्बल जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप.क्र.	धारा
1	भिण्ड	देहात	249/18	376, 363, 511 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट
2	भिण्ड	देहात	20/18	376, 307, 511 भादवि 3, 4, 5 एम, 5(1) पॉक्सो एक्ट
3	भिण्ड	फूफ	266/18	376 ए, व्ही भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट
4	भिण्ड	अटेर	183/16	302, 394, 397, 34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट, 11/13

होशंगाबाद जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप.क्र.	धारा
1	बैतूल	चिचोली	431/17	302 भादवि
2	होशंगाबाद	पथरौटा	119/17	450, 302, 307 भादवि
3	रायसेन	गैरतगंज	143/15	302, 201 भादवि
4	बैतूल	कोतवाली	143/17	302, 201, 34, 414, 460 भादवि
5	होशंगाबाद	बनखेड़ी	99/16	450, 376(2) एन, 506 भादवि 4 पॉक्सो एक्ट
6	होशंगाबाद	पचमढ़ी	56/16	376, 506 भादवि 4 पॉक्सो एक्ट
7	होशंगाबाद	पथरौटा	34/16	363, 366, 376, 307, इजाफा 3(1) (12) एस.सी./ एस.टी. एक्ट
इंदौर जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप.क्र.	धारा
1	धार	धार	92/17	302 भादवि
2	बड़वानी	जुलवानिया	51/18	302 भादवि इजाफा 376, 376(2) आई, एन भादवि, 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट
3	खरगोन	बड़वाह	511/16	302 भादवि
4	खरगोन	उन	07/17	302, 201 भादवि
5	इंदौर	तुकोगंज	565/17	376 (2)(1) जे, एम, एन भादवि एल, एम/6 पॉक्सो एक्ट
6	अलीराजपुर	जोबट	445/17	395, 396 भादवि
उज्जैन जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप.क्र.	धारा
1	नीमच	नीमच कैंट	07/16	302, 34 भादवि
2	नीमच	रामपुरा	45/17	302, 34 भादवि
3	रतलाम	रिंगनोद	190/17	302 भादवि
4	रतलाम	औ.क्षे.	96/13	363, 366, 342, 506बी, 376डी (विधि सं. अध्या.)
5	मंदसौर	कोतवाली	471/17	302, 307 भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट

सागर जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप.क्र.	धारा
1	दमोह	तेजगढ़	139/17	302 भादवि 3(2) (5) एस.सी.एस.टी. एक्ट
2	छतरपुर	सटई	94/16	302, 498ए, 120बी, 34 भादवि
3	छतरपुर	बमीठा	176/17	302 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट
4	सागर	गढ़ाकोटा	324/15	363, 366ए, 302, 201 भादवि
5	टीकमगढ़	बड़ागांव	181/17	376, 450, 506 भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट
6	सागर	राहतगढ़	425/17	376डी, 452, 294, 506, 376(2)आई भादवि, 5जी/6
7	टीकमगढ़	पलेरा	159/15	364ए भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट
बालाघाट जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप.क्र.	धारा
1	मण्डला	बीजाडांडी	159/16	302, 201, 120बी, 34 भादवि
2	बालाघाट	कटंगी	364/16	302, 294 भादवि
3	बालाघाट	रांझी	178/17	376, 450 भादवि 3/4, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट
4	बालाघाट	चांगूटोला	135/17	376(2) आई.जे. भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट

रीवा जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप.क्र.	धारा
1	रीवा	सेमरिया	309/15	302, 201, 34 भादवि
2	रीवा	जनेह	33/16	302, 376(घ), 450, 397 भादवि
3	सतना	कोलगवां	359/12	147, 148, 149, 323, 307, 302 भादवि 30 आयुध अधि.
ग्वालियर जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप.क्र.	धारा
1	ग्वालियर	गोले का मंदिर	310/10	307, 34 इजाफा 302 भादवि
2	गुना	फतेहगढ़	128/13	302 भादवि
शहडोल जोन				
क्र.	जिला	थाना	अप.क्र.	धारा
1	उमरिया	मानपुर	180/16	342, 302, 34 भादवि, 25बी आर्म्स एक्ट
2	अनूपपुर	अमरकंटक	24/15	302 भादवि
3	डिण्डौरी	समनापुर	346/16	302, 201, 34 भादवि, 3(2)(5) एस.सी.एस.टी.एक्ट
4	शहडोल	अमलाई	102/15	302, 307, 450 भादवि, 25बी आर्म्स एक्ट

म.प्र. पुलिस के द्वारा मध्यप्रदेश के पांच जिलों छतरपुर, जबलपुर, इंदौर, शिवपुरी, बड़वानी में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद



पुलिस अधीक्षक झाबुआ के निर्देशन में नाहटा पिता बंदिया जाति चारेल निवासी ग्राम बलवासा को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध गुजरात राज्य के दाहोद जिले में लूट, डकैती के 26 स्थाई वारंट लंबित हैं, इसी तरह मोसिंह (मोर सिंह) पिता बंदिया जाति चारेल नि. ग्राम बिहार के विरुद्ध डकैती के 07 स्थाई वारंट, जमरु पिता बंदिया चारेल के विरुद्ध डकैती के 03 वारंट इस तरह उक्त तीनों के विरुद्ध कुल 36 स्थाई वारंट विभिन्न मामलों के लंबित थे, जो पुलिस अधीक्षक द्वारा तामील कराये गये हैं।

“केन्द्रीय गृह मंत्री पदक 2018” अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु म.प्र. पुलिस के 11 अधिकारियों को प्रदान करने की घोषणा

1. डीएसपी, श्री राकेश मोहन शुक्ला, 2. डीएसपी श्री राजेश कुमार सिंह राठौर, 3. निरीक्षक श्री संजय रावत, 4. निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह चौहान, 5. निरीक्षक श्री अमित सोनीष 6. निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह राजपूतष 7. निरीक्षक श्री मुख्तार कुरैशी, 8. उप.निरी. श्री विजय बहादुर सिंह, 9. उप.निरी. श्री मनोज कुमार त्रिपाठी, 10. उप.निरी. बाबूलाल यादव, 11. उप.निरी. आम्रपाली दहात।

म.प्र. पुलिस द्वारा गैस कटर के माध्यम से बैंक, दुकानों एवं घरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों जिनके द्वारा जिला नरसिंहपुर, बैतूल, सीधी, अनूपपुर तथा रायसेन में विभिन्न अपराध घटित किये गये थे इनमें से अधिकांश आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा आरोपी जिला बदायु (उ.प्र.) के रहने वाले हैं। इन पर निगाह रखने की एवं इनसे सतर्क रहने की समस्त पुलिस अधीक्षकों से अपील की जाती है।

विशेष अभियान वर्ष 2019- दिनांक 15.02.2019 से 31.03.2019					
शीर्ष	प्रकरणों की संख्या	आरोपियों की संख्या	अवैध जप्त सामग्री का विवरण		
अवैध शस्त्र	3989	4074	आग्नेय- 722, कारतूस- 1301, धारदार- 3483		
अवैध शराब	20868	21174	अंग्रेजी	26100 लीटर	कुल कीमत
			देशी	91684.94 लीटर	
			कच्ची	77714.26 लीटर	
			बीयर	18643.29 लीटर	
			कुल जप्त शराब	214142.59 लीटर	रु. 4.90 करोड़
मादक पदार्थ	485	596	गांजा- 9 क्विंटल 01 किलो 260 ग्राम, स्मैक- 02 किलो 513 ग्राम 560 मिलीग्राम, डोडाचूरा- 97 क्विंटल 96 किलो 660 ग्राम, ब्राउन शुगर- 186 ग्राम 300 मिलीग्राम, हेरोईन- 7 ग्राम 17 मि.ग्रा. टैबलेट- 22427 नग, अफीम- 160 किलो 650 ग्राम, ऑनरेक्स सिरफ- 2113 नग, चरस- 114 ग्राम, अफीम के पौधे- 8718 नग, हरा गांजा- 153 किलोग्राम, भांग- 11 किलो 250 ग्राम, कुल कीमत- रु. 6.58 करोड़		

75 वर्षीय वृद्धा से बलात्कार व हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

राजपुर ● पश्चिम-पश्चिमी को समीपतः एक कुएँ 75 वर्ग फुट के सजावटी बालूदान और इस काने के म्मलेने में कोर्ट ने कुबकर को आरोपी को सजा ए मौत बा फैसला सुनाया है।
एकहजेरठ सन राजपुर ने बताया कि 22 फरवरी 2017 को सिविल लायन नामा रिषेट दर्ज काना कि हल 75 वर्ग म्मलेन के पर में निगर ए करवा है। 21 फरवरी को रात में कुबको को खाना खिलावन अपने कमरे में फंसी रह गी। मुकदमा करीब 5 वने अपने दाख कि मुक्किय के कामे का सखाम निशका पात्र बा। उसके सरपर में जोटे बी और गुलाबी से खून हल रहा बा। यद्दा को घायल हाथान में शिला



अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और घटना स्थल से एक चम्मच और हर्ट के बदन बरामद किए। 28 फरवरी को इलाहाबाद के सैन्य पुलिस की ग्वारंटियर में भीत हो गई थी। चरम के आधार पर रीबु उर्फ अखबर खान (25) सलत निवासी नया मोहल्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। रीबु ने पुलिस को बताया कि वह घटना दिनांक को शादी से वापस लौट रहा

या। रात्रि करीब एक बजे पंडित के घर में बुल गया था। घर में से लोहा पंडितता के बड़े सख्त भावपूर्ण कर दुराचार किया। जिससे वह थोड़ेसा गुनवाई। २८ फरवरी को इलाज के दौरान तत्कालीन राइसो इन्डियन लाकवर ने मामले को जन्म-मरण में स्थित किया। लंदनईंग जलकारी निरोधक अर्चिद कुनुर ने वैद्य को गिरफ्तार कर मामले विवेचन कर कोर्ट के सुपुर्द किया था। मामले में पुलिस ने येके से जवाब बदन पचना के समय लालच व जैविक प्रभाव से लगे कराई उद्यम-मजालिक धिक्कन प्रयोगात्मक सखर ज्ञान के लिए भेजे गए। ज्ञान में सह प्रभावित हुई कि कला पर जवाब बदन आरोपी तब के जट का था और आरोपी के कथनों में प्रतिक्रिया

का खुन पाया गया व जैविक पदार्थ के मिलन की पुष्टि हुई।
न्यायाधीश नोबिन निगम की कोर्ट में सुनवाई सत्रा: क्वबलीन एक्सीट्री बेंचिसर पहिहार और एक्सीट्री बेंचिसर गौतम ने लखनगर मामले की समीक्षा व धर्नीपरीक्षा की। अधीपोजन की ओर से दीपीए ओ एस्के: न्यूवर्दी ने पैरवी करते हुए गवाहों और समुक्त अदालत में पैरा कर आरोपी को सजा देने वही अपील की। विशेष न्यायाधीश नोबिन निगम की कोर्ट में आईपरीक्षा की धर्ना 450 में दस साल की कठोर कैद दो हजार रुफर जुर्माना, धारा 376 में डकैतके के सया पाया हजार रुफर जुर्माना और धारा 302 में मृत्यु दण्ड की सजा सुनवाई।

वर्ष 2018 में बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी 90%					
गुम			दस्तयाब		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2483	7898	10381	2352	7026	9378

जिला छतरपुर थाना सिविल लाइन के अप.क्रं. 66/17 धारा 457, 376, 323, 302 भादवि में दिनांक 21-22.02.2017 की दरमियानी रात आरोपी रीनू उर्फ अकबर पिता नन्नू उर्फ आजाद खान, उम्र 25 साल निवासी नया मोहल्ला चौराहा छतरपुर द्वारा एक वृद्ध महिला मुन्धियाना उर्फ जायदा बेगम पत्नी अशरफ खान, उम्र 75 साल निवासी नारायण बाग छतरपुर के साथ निर्ममतापूर्वक मारपीट एवं बलात्कार किये जाने की वीभत्स एवं जघन्य घटना घटित की गई थी एवं उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में लिया जाकर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में दिनांक 02.05.17 को चालान पेश किया गया था। दिनांक 06.02.19 को मान. न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय में आरोपी को धारा 450 भादवि में 10 साल का कारावास व 2 हजार रु. अर्थदण्ड, धारा 376 भादवि में आजीवन कारावास व 05 हजार रु. अर्थदण्ड एवं धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

प्रधान संपादक - श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, प.म.नि.अ.अ.वि., संपादक - श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, स.म.नि.अ.अ.वि., सहसंपादक - श्री आदिल इमाम, निरीक्षक अ.अ.वि.

समस्त पुलिस अधीक्षकों से आग्रह है कि आपके जिले में किये जा रहे अच्छे कार्यों की जानकारी अ.अ.वि. मुख्यालय (क्राइम सेल) को भेजने का कष्ट करें, ताकि उसका प्रकाशन अ.अ.वि. के आगामी न्यूजलेटर में कराया जा सके।